राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक: प-2(31)कार्मिक/क-3/96 जयपुर, दिनांक 31-12-96

समस्त शासन सचिव/विशिष्ठ सचिव,
समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित).

परिपत्र

राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (वर्तमान में राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो) अथवा पुलिस में पंजीबद्ध आपराधिक मामलों में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निम्नांकित अनुदेश/परिपत्र जारी किये गये हैं:-

1- प. 3(3)(1)गृह/ग्रुप-5/76 दिनांक 24-6-78
2- प. 2(47)सा.प्र./क/65 दिनांक 18-4-70
3- प. 6(53)नियुक्ति/क-3/70 दिनांक 14-4-71
4- प. 2(244)कार्मिक/क-3/87 दिनांक 01-7-88
5- प. 2(18)कार्मिक/क-3/78 दिनांक 23-1-78
6- प. 11(4)कार्मिक/क-3/85 दिनांक 29-4-86
7- प. 6(10)नियुक्ति/क-3/65 दिनांक 2-7-68
8- प. 5(17)कार्मिक/क-3/68 दिनांक 21-5-[illegible]
9- प. 9(63)कार्मिक/क-3/77 दिनांक 4-1-77
10. प. 9(1)(2)कार्मिक/क-3/86 दिनांक 19-4-86
11. प. 9(1)(9)कार्मिक/क-3/88 दिनांक 30-7-88
12. प. [illegible](7)कार्मिक/क-3/75 दिनांक 24-4-90
13. प. 8(1)(4)कार्मिक/क-3/96 दिनांक 6-8-96
14. प. 8(1)(4)कार्मिक/क-3/96 दिनांक 6-8-96

शासन के ध्यान में यह आया है कि विभिन्न विभागों में उक्त परिपत्रों/अनुदेशों की अन-उपलब्धता एवं जानकारी के अभाव में इनकी अक्षरत: अनुपालना नहीं हो पा रही है ।

अत: राज्य सरकार उक्त परिपत्रों/अनुदेशों को संकलित करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करती है:-

....2/-

(11) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों व अन्य मामलों में गिरफ्तार किये गये जनसेवकों के निलम्बन एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में :

(i) यदि कोई जन सेवक राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जावे तो उसे राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1)(बी) के अन्तर्गत तुरन्त निलम्बित किया जाए। यदि किसी मामले में विशेष परिस्थितिवश निलम्बन आवश्यक नहीं समझा जावे तो उस जन सेवक का स्थानान्तरण तुरन्त ऐसे पद पर तो कर ही दिया जाए, जहाँ जन सम्पर्क कम हो, साथ ही वह जन सेवक अनुसंधान में बाधा नहीं पहुँचा सके और गवाहों को प्रभावित नहीं कर सके। निलम्बन आदेश की एक प्रति राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो को भी पृष्ठांकित की जाए। अगर निलम्बन के बजाय स्थानान्तरण किया गया है तो ऐसी किसी विशेष परिस्थिति, जिसकी वजह से निलम्बन नहीं किया गया है, से राज्य सरकार एवं ब्यूरो को अवगत कराया जाए।

(ii) यदि कोई जन सेवक फौजदारी आरोप में या अन्यथा 48 घन्टे से अधिक समय के लिए पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रोक रखा जाता है तो वह रोक रखे जाने की तारीख से, नियुक्ति प्राधिकारी की आज्ञा से निलम्बित समझा जायेगा और अगली आज्ञा जारी होने तक निलम्बित रहेगा।

(12) दहेज सम्बन्धी मृत्यु के मामलों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों का निलम्बन

सरकार महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों को बड़ी गम्भीरता से लेती है। अतः सरकार ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख में यथा परिभाषित "दहेज सम्बन्धी मृत्यु" के मामले में अन्तर्ग्रस्त किसी दोषी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित करने सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों की पुनरीक्षा की है। यह धारा निम्न प्रकार है:-

304-ख॥ ॥

जहाँ विवाह के सात साल के भीतर किसी महिला की जलने से अथवा शारीरिक चोट से अथवा असाधारण परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु के तत्काल पहले उसके पति अथवा उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज सम्बन्धी किसी मांग के लिए अथवा दहेज के सम्बन्ध में क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है अथवा परेशान किया गया हो, तो ऐसी मृत्यु को दहेज सम्बन्धी मृत्यु कहा जायेगा और यह समझा जायेगा कि यह मृत्यु उसके पति अथवा रिश्तेदार के कारण हुई है ।"

स्पष्टीकरण :

इस उप धारा के प्रयोजन के लिए "दहेज" शब्द का वही अर्थ होगा, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में दिया गया है ।

यदि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 304-ख के अन्तर्गत पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज किया गया है तो यह माना जा सकता है कि अपराध होने के कारण उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है । इसके परिणामस्वरूप राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के उप नियम (1) के उपबन्धों का सहारा लेकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे निम्नलिखित परिस्थितियों में तत्काल निलम्बित कर दिया जायेगा ।

1. यदि सरकारी कर्मचारी को पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी हिरासत की अवधि पर ध्यान दिये बिना ही उसे तत्काल निलम्बित कर दिया जायेगा ।

2. यदि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उप धारा (2) के अधीन पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर उसे तत्काल निलम्बित कर दिया जायेगा । जबकि उक्त रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया यह निर्दिष्ट होता हो कि अपराध सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया है ।

(3) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो/पुलिस द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक मामलों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में :

राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो/पुलिस द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु राज्य सरकार और विभागाध्यक्षों को भेजे गये मामलों पर प्राथमिकता

के आधार पर विचार किया जाना चाहिए । अभियोजन स्वीकृति एक महिने के अन्दर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्रायः यह देखने में आया है कि सक्षम प्राधिकारियों के पास ऐसे प्रकरण कई महिनों तक और कभी-कभी कई वर्षों तक विचाराधीन पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ अपराधों में महत्वपूर्ण सबूत नष्ट होने की तथा गवाहान के पक्षद्रोही होने की सम्भावना बनी रहती है । भविष्य में राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो/पुलिस द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले प्रस्ताव प्राप्त होते ही सक्षम अधिकारी उसका अध्ययन करें तथा 15 दिन के अन्दर ब्यूरो/पुलिस के अनुसंधान अधिकारी को सम्बन्धित पत्रावली एवं रेकार्ड के साथ तलब कर उनका अवलोकन करें तथा अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव प्राप्त होने के एक माह के अन्दर अपने निर्णय से ब्यूरो को अवगत करावें । सक्षम अधिकारी पत्रावली के अवलोकन और विचार-विमर्श के दौरान जो भी स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, वह अनुसंधान अधिकारी से वहीं प्राप्त कर लेना चाहिए । अगर किसी कारणवश और कोई स्पष्टीकरण लेना आवश्यक है तो इस सम्बन्ध में तुरन्त पत्र तैयार कर अनुसंधान अधिकारी ------ के मार्फत ब्यूरो के मुख्यालय/सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाकर स्पष्टीकरण तुरन्त प्राप्त कर मामले का निस्तारण किया जाए । अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव तीन माह से अधिक विचाराधीन नहीं रखे जाने चाहिए । अभियोजन स्वीकृति जारी करने के पहले सक्षम अधिकारी को उपलब्ध समस्त साक्ष्य पर विचार करके विस्तृत आदेश (स्पीकिंग आर्डर) जारी करना चाहिए एवं अपनी पत्रावली में भी विस्तृत टिप्पणी अंकित करनी चाहिए । सक्षम अधिकारी की सुविधा हेतु ब्यूरो/पुलिस द्वारा प्रारूप अभियोजन स्वीकृति तैयार किया जाकर अपने प्रस्ताव के साथ भेजा जाता है । विचार-विमर्श के बाद अगर सक्षम अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो ऐसे प्रारूप के आधार पर अभियोजन स्वीकृति जारी की जा सकती है, लेकिन किसी भी हालत में ब्यूरो/पुलिस द्वारा भेजे गये प्रारूप की फोटो स्टेट कर, उस पर हस्ताक्षर कर नहीं भेजा जाना चाहिए और न ही जारी की गई अभियोजन स्वीकृति में "प्रारूप" शब्द अंकित होना चाहिए ।

जब कभी किसी राज्य सेवक के विरुद्ध विभागाध्यक्षों द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं किये जाने का निर्णय लिया जाना हो तो ऐसा निर्णय लिए जाने से पूर्व प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव को प्रस्ताव प्रस्तुत कर उनका अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावे और अभियोजन के प्रस्ताव को अस्वीकृत किये जाने वाले आदेश/पत्र में इस बात को स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि स्वीकृति प्रदान न किये जाने के लिए संबंधित शासन सचिव की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है ।

(14) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही जाँच/अन्वेषण के दौरान विभाग द्वारा समानान्तर जाँच करने के सम्बन्ध में :

राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो में पंजीबद्ध रिश्वत अथवा आय से अधिक सम्पत्ति के अभियोगों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा कोई समानान्तर प्राथमिक या विभागीय जाँच नहीं की जावे । फिर भी ऐसे मामले समय-समय पर राज्य सरकार के ध्यान में लाये गये हैं, जिनमें विभागाध्यक्षों द्वारा समानान्तर जाँच की जाती है । इस तरह समानान्तर जाँच करने से दोनों जाँचों में एकत्रित साक्ष्यों में कुछ विरोधाभास होना स्वाभाविक है, जिससे ब्यूरो के प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । अतः भविष्य में उक्त प्रकृति के मामलों में प्रशासनिक विभाग/विभाग को राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही जाँच/अन्वेषण का इन्तार किया जाना चाहिए और समानान्तर जाँच के आदेश नहीं दिये जाने चाहिए । दुराचरण के अन्य प्रकार के मामले जैसे- चोरी, गबन, कमी, दुर्विनियोजन एवं अन्य प्रकार से राजकीय राशि/सम्पत्ति की हानि से सम्बन्धित हों, उनमें अभियोग प्रकरण के अन्वेषण स्तर पर विचाराधीन रहते, अथवा न्यायालय में विचाराधीन रहते विभागीय स्तर पर साथ-साथ कार्यवाही की जा सकती है ।

(15) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो/पुलिस विभाग द्वारा राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों के विरूद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में चालान प्रस्तुत करने के स्थान पर विभागीय जाँच की अभिशंसा करने की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में :

राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो/पुलिस विभाग द्वारा राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों के विरूद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान के बाद जब यह पाया जाता है कि कोई प्रकरण आपराधिक अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु उपयुक्त नहीं है, तब ऐसे प्रकरण में ब्यूरो/पुलिस विभाग द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करने के प्रस्ताव सीधे ही कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किये जाते हैं ।

इस प्रकार के प्रकरणों में यह निर्देशित किया जाता है कि ब्यूरो/पुलिस विभाग द्वारा राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों के विरूद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरण में कानून के अन्तर्गत आपराधिक कार्यवाही करना उपयुक्त

...6/-

नहीं समझे जाने एवं अनुशासनिक कार्यवाही करने की अभिशंसा किये जाने पर, वे ऐसे प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करेगें । प्रशासनिक विभाग इस प्रकार के प्रस्तावों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करके, प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्मिक (क-3) विभाग को भिजवायेगें ।

(16) ऐसे मामलों में, जिनमें राज्य कर्मचारी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही तथा विभागीय जाँच की कार्यवाही साथ-साथ चल रही हो और अभियोजन के मामले व विभागीय जाँच में आरोप एक समान (आईडेन्टीकल) हों, उनमें की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में :

राज्य कर्मचारियों के विरूद्ध राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस में पंजीबद्ध अभियोग में की जाने वाली कार्यवाही और राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत दुराचरण के लिए की जाने वाली कार्यवाही पृथक-पृथक प्रक्रियायें हैं । अभियोग प्रकरण के अन्वेषण स्तर पर विचाराधीन रहते अथवा न्यायालय में विचाराधीन रहते, विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही भी साथ-साथ की जा सकती है, चाहे दोनों ही कार्यवाहियों के लिए राज्य कर्मचारी के विरूद्ध आरोप समान ही क्यों न हो । इस प्रकार के प्रकरणों में अनुशासनिक कार्यवाही को पूरा करने के लिए जिस अभिलेख की आवश्यकता है, यदि वह राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस अथवा न्यायालय में हो तो ऐसे आवश्यक अभिलेख की फोटो प्रतियां प्राप्त कर जाँच पूरी की जा सकती है । अनुशासनिक कार्यवाही के पूरा हो जाने पर गम्भीर प्रकृति के दुराचरण प्रमाणित होने से पुलिस केस के परिणाम अथवा न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना ऐसे दोषी राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का अविलम्ब निर्णय किया जाना चाहिए । बाद में यदि समान आरोप के लिए न्यायालय के अन्तिम निर्णय से कोई कर्मचारी दोषमुक्त होता है तो उन मामलों में पुनरावलोकन कार्यवाही इन अनुदेशों के आईटम संख्या-7 (14) के अनुसार सम्पादित की जानी चाहिए ।

(17) सक्षम न्यायालय द्वारा राज्य सेवक को आपराधिक आरोपों पर सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में ।

जब किसी राज्य सेवक को आपराधिक आरोप के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा सजा सुना दी जाती है तो ऐसे मामले में निम्न प्रकार से कार्यवाही सम्पादित की जावे :-

1. ज्यों ही किसी सरकारी कर्मचारी को किसी आपराधिक आरोप पर सिद्ध दोष ठहराया जाए, उसे उन मामलों में, जिनमें लोक सेवा में उसका रहना प्रथम दृष्टया अवांछनीय हो, निलम्बित कर दिया जाना चाहिए, यदि उसे पहले ही निलम्बित न कर दिया गया हो ।

2. किसी न्यायालय द्वारा सरकारी कर्मचारी को सिद्ध दोष ठहराये जाने पर राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्ति उस कदाचार की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए, जिसके कारण उसे सिद्ध दोष ठहराया गया है । ऐसे किसी मामले में, जिनमें सरकारी कर्मचारी को ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जो ऐसा हो कि जिससे लोक सेवा में उसे आगे रखना प्रथम दृष्टया अवांछनीय हो, तो उसे सरकारी सेवा से पदच्युत करने, हटाने या अनिवार्य रूप से सेवा से निवृत करने की कार्यवाही न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि सुनाते ही तुरन्त की जानी चाहिए । (उक्त आदेश का मानक प्रारूप-1 संलग्न है) ।

3. उन मामलों में, जहाँ दोषी सरकारी कर्मचारी पर अधिरोपित किये जाने वाले दण्ड की मात्रा के सम्बन्ध में राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना हो, वहाँ आयोग का परामर्श उक्त सरकारी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के बाबत् अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व मांगा जाना चाहिए ।

4. यदि दोष सिद्धि के विरूद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण मान लिया जाता है और सरकारी कर्मचारी को दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उसकी ठहरी न रह (which no longer stands) सभी दोष सिद्धि पर आधारित पदच्युति, सेवा से हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश अपास्त किये जाने योग्य होगें । अपीलीय न्यायालय के निर्णय की एक प्रति तुरन्त प्राप्त की जानी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो विधि विभाग से परामर्श करके निम्नलिखित बिन्दुओं को विनिश्चित करने की दृष्टि से उसकी परीक्षा की जानी चाहिए :

(क) कि क्या दोषमुक्ति के बावजूद मामले के तथ्य तथा परिस्थितियां ऐसी हैं, जिनके बाबत् सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध उन अभिकथनों, के आधार पर, जिन पर उसे पूर्व में सिद्ध दोष ठहराया गया था, विभागीय जांच की जा सकती है ।

..... 8/-

यदि यह विनिश्चित किया जाता है कि मामले को और उच्चतर न्यायालय में ले जाया जाए, तो समुचित विधिक कार्यवाही संस्थित करने की कार्यवाही बिना किसी विलम्ब के की जानी चाहिए और यदि यह विनिश्चित किया जाता है कि विभागीय जाँच की जानी चाहिए, तो-

(i) पदच्युती, सेवा से हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश अपास्त करने और

(ii) ऐसी कोई विभागीय जाँच करने,

ऐसे औपचारिक आदेश किये जाने चाहिए ।

ऐसे किसी आदेश में यह कथन भी किया जाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(4) के अधीन पदच्युती/सेवा से हटाने/अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से, निलम्बनाधीन समझा जायेगा ।
(मानक प्रारूप- II संलग्न है)

उन मामलों में जहाँ उपर्युक्त प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया हो, वहाँ पदच्युती/सेवा से हटाने/अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व आदेशों को अपास्त करने और उसे सेवा में बहाल करने के औपचारिक आदेश किये जाने चाहिए (ऐसे किसी आदेश के लिए मानक प्रारूप संख्या- II संलग्न है) । पदच्युति आदि की तारीख तथा उसके द्वारा ड्यूटी पर पुन: उपस्थित होने की तारीख के बीच की कालावधि के बारे में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 54 के अनुसार विचार किया जाना चाहिए और ऐसा करते समय उसे, उसकी दोषमुक्ति की तारीख तथा बहाली की तारीख तक की कालावधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्तों का हकदार समझा जाना चाहिए और उक्त कालावधि के समस्त प्रयोजनों के लिए ड्यूटी के रूप में संगणित किया जाना चाहिए ।

(8) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो की जाँच/अपराधों में वांछित अभिलेखों/प्रलेखों को शीघ्र उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में ।

राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो के जाँच/अनुसंधान अधिकारी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने में कई विभागीय अधिकारी काफी समय लगा

देते हैं, जिसके फलस्वरूप राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिक जाँच/अपराध लम्बे समय तक विचाराधीन रहते हैं । अत: सभी विभागाध्यक्षों को चाहिए कि वे उनके विभाग के वांछित अभिलेख/प्रलेख को ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा मांगने पर पन्द्रह दिन की अवधि में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा अगर प्रलेख समय पर उपलब्ध नहीं कराये जावें तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे ।

(9) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिक जाँच व अपराधों में वांछित टैक्निकल तथा लेखा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में :

राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही प्राथमिक जाँचों व अपराधों से सम्बन्धित टैक्निकल तथा लेखा प्रतिवेदन विभिन्न टेक्निकल तथा लेखा अधिकारियों द्वारा कम से कम समय में भेज दिये जाने चाहिए । किसी हालत में एक माह की अवधि से अधिक तो इसमें लगना ही नहीं चाहिए । यदि किसी विशेष मामले या परिस्थितियों में टैक्निकल प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में न भी दिया जा सकें तो भी प्रतिवेदन तीन माह की अवधि में तो आवश्यक रूप से भेज दिये जाने चाहिए ।

(10) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो के मामलों में मूल्यांकन संबंधी प्रतिवेदन देने वाले सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन एक माह में भेज देने के सम्बन्ध में :

ब्यूरो को जब कभी किसी मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग से किसी सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में तकनीकी राय की आवश्यकता हो तो इसके बारे में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखेगें, जो प्रकरण में सक्षम अधिकारी को नियुक्त करने के आदेश प्रसारित करेगें । राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपेक्षित मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक एक माह में आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए ।

(11) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो को ट्रेप, तलाशी आदि के लिए गवाह उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में :

ब्यूरो को ट्रेप कआयोजन करने के लिए तथा उनके द्वारा आयोजित तलाशियों के लिए निष्पक्ष गवाहान की आवश्यकता रहती है एवं इसके लिए ब्यूरो के अधिकारीगण विभिन्न विभागों के अधिकारियों से सम्पर्क करते रहते हैं। ब्यूरो के अधिकारियों के द्वारा जब भी इस तरह के गवाहान की मांग की जावे तो उनके चाहे गये स्तर के कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

॥2॥ राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो/पुलिस द्वारा आपराधिक मामलों में अनुसंधान पूर्ण करने व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में :

राज्य सेवकों के विरूद्ध राज्य अन्वेषण ब्यूरो/पुलिस द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक मामलों में अनुसंधान सम्बन्धी कार्यवाही यथाशीघ्र यथा 3 माह में पूर्ण कर ली जानी चाहिए। इसी प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी कर दिये जाने के बाद 15 दिवस की अवधि में सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश कर दिया जाना चाहिए। यदि किसी प्रकरण में अनुसंधानपूर्ण किये जाने या चालान पेश किये जाने में अधिक समय लगने की सम्भावना हो तो देरी के कारणों सहित विवरण राज्य सेवक के पैतृक विभाग, गृह विभाग एवं कार्मिक विभाग ॥राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों के संबंध में॥ भिजवाया जावे।

समस्त सचिवगण/विभागाध्यक्ष उपरोक्तानुसार आवश्यक निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रसारित करें एवं आदेश की पालना सुनिश्चित करें। उपरोक्त आदेशों की किसी प्रकार की अवहेलना होने पर राज्य सरकार उसे गम्भीरता से लेगी।

॥एम. एल. मेहता॥
मुख्य सचिव

प्रारूप- I

यत: श्री _____ ।नाम एवं पदनाम। को

की धारा _____

के अधीन आपराधिक आरोप पर सिद्धदोष ठहराया गया है ।

और यत: यह माना गया है कि उक्त श्री _____

_____ ।नाम एवं पदनाम। का वह आचरण, जिसके कारण उसे सिद्धदोष ठहराया गया है, ऐसा है कि उसे लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय होगा ।

अत: अब राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरी उक्त श्री _____

।नाम एवं पदनाम। को इसके द्वारा, _____

।तारीख। से पदच्युत करते/सेवा से हटाते हैं ।

अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रपत्र-11

यतः श्री ----------------------------------- (नाम एवं पदनाम) जो उस आचरण के आधार पर आदेश संख्या ------------------------------ दिनांक ----------------- के द्वारा ------------------------ (तारीख) से पदच्युत/सेवा से हटाया गया था, जिसके कारण उन्हें एक आपराधिक आरोप में सिद्धदोष ठहराया गया था ।

और यतः उक्त दोषसिद्धि न्यायालय द्वारा अपास्त कर दी गई है और उक्त श्री ------------------------------- (नाम एवं पदनाम) को उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया है ।

और यतः राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरी ने उक्त दोषमुक्ति के परिणाम स्वरूप यह विनिश्चित किया है कि पदच्युति/सेवा से हटाने का उक्त आदेश अपास्त किया जाना चाहिए ।

और यतः राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरी ने मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह भी विनिश्चित किया है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के उपबन्धों के अधीन उक्त श्री -- (नाम एवं पदनाम) के विरूद्ध उन अभिकथनों के आधार पर जिनके कारण उसे पदच्युत/सेवा से हटाया गया है, और जांच की जानी चाहिए ।

अतः अब राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरी, इसके द्वारा:-

(i) पदच्युति/सेवा से हटाने के उपर्युक्त आदेशों को अपास्त करते हैं, और

(ii) निदेश देते हैं कि श्री ------------------------------ (नाम एवं पदनाम) को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के उपनियम (4) के अधीन ---------------------- (यहाँ पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की तारीख प्रविष्ट करें) से निलम्बित समझा जाए और वह अग्रिम आदेशों तक निलम्बित बना रहेगा ।

अनु. सानिक प्राधिकारी

प्रपत्र- III

यत: श्री --[नाम एवं पदनाम] को उस आचरण के आधार पर आदेश संख्या------------------------------दिनांक ------------------के द्वारा------------------------------ से पदच्युत/सेवा
[तारीख]
से हटाया गया था, जिसके कारण उन्हें एक आपराधिक आरोप में सिद्धदोष ठहराया गया था, और यत: उक्त दोषसिद्धि सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त कर दी गई है और उक्त श्री ------------------------------------[नाम एवं पदनाम] को उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया है ।

और यत: उक्त दोषसिद्धि को सक्षम न्यायालय ने अपास्त कर दिया है और उक्त श्री--[नाम एवं पदनाम] को उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया है ।

अत: अब राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरी, जिसके द्वारा उसकी पदच्युति/सेवा से हटाने के आदेश को अपास्त करते हैं । और ------------------------------------से उसे सेवा में पुन: स्थापित करते हैं ।

अनुशासनिक प्राधिकारी

/राव/